



राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:— एफ13/1/3/वेब पोर्टल/वीएस/डीईएस/2020/ 1032

दिनांक: 25/10/2021

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म—मृत्यु) एवं  
उप/सहायक निदेशक  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
जिला समस्त

विषय:— जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

सन्दर्भ:— आयुक्त नगर निगम ग्रैटर जयपुर का पत्रांक 339 दिनांक 25.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में जन्म—मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र पर ई—साईन करने में तकनीकी समस्या आने के कारण प्रशासन शहरो/गाँवों के संग अभियान में जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में रजिस्ट्रारों को आ रही कठिनाईयों को देखते हुए तकनीकी समस्या का समाधान होने तक वेब पोर्टल पहचान द्वारा जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र पर मैन्युअल हस्ताक्षर (हस्तालिखित) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ताकि शिविरों में राज्य सरकार की मंशानुसार आमजन को प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी किये जा सके। उक्त सुविधा ई—साईन के सुचारू रूप से संचालित होते ही समाप्त कर दी जावेगी तथा इस प्रकार जारी किये गये मैन्युअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र पर ई—साईन किया जाना सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिए ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी की भी व्यक्तिशः जिम्मेदारी रहेगी।

भवदीय,

(डॉ. अमप्रकाश बरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— एफ13/1/3/वेब पोर्टल/वीएस/डीईएस/2020/ 1032

दिनांक: 25/10/2021

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम, समस्त।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव